रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937
No. 14] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/ PAUSA 21, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2016

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/029.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 और धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में, विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में -

   i. उप-खंड (ii) में, शब्द "या", शब्द "से" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

   ii. उप-खंड (iii) का लोप हो जाएगा।

iii. उप-खंड (iv) में शब्दों "या एक ही प्रबंधन जो पहले व्यक्ति का हो के अधीन कंपनी" का लोप हो जाएगा।

iv. उप-खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,–

"(vii) ऐसे अन्य मामले जहाँ बोर्ड का यह विचार हो कि किसी व्यक्ति को तथ्यों और कारकों (जिनमें ये भी शामिल हैं - कि नियंत्रण कितना है, स्वतंत्रता कितनी है, हित-विरोध कितना है) के आधार पर सहयुक्त (असोसिएट) समझा जाएगा;"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69 जैडबी/315]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/07/13546, 20 जून 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 तत्पश्चात् :-

   (क) 2 सितम्बर 2013 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2013-14/21/6463, द्वारा

   (ख) 8 सितम्बर 2015 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2015-16/016, द्वारा

   संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2016

Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2016

No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/029.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2016.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, in Regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (b) –

   i. in sub clause (ii) –
   (1) after the words "who holds" and before the words "fifteen per cent.", the words "more than" shall be inserted.
   (2) the words "or more" shall be omitted.

   ii. sub clause (iii) shall be omitted.

   iii. in sub clause (iv) the words "or a company under the same management as of the first person" shall be omitted.

   iv. after sub-clause (vi) the following sub-clause shall be inserted, namely,-"(vii) such other cases where the Board is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence, conflict of interest;"

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./69ZB/315]

Footnote:

1. The SC(R) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 20th June, 2012 vide F. No. LAD-NRO/GN/2012-13/07/13546.
2. The SC(R) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were subsequently amended –

   (a) on 2nd September, 2013 by the SC(R)(Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013/14/21/6463.

   (b) on 8th September, 2015 by the SC(R)(Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2015-16/016.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.